न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 30/2014 **दायरा दिनांक : 01.01.2014**

उनवान

1— रामकिशन पुत्र श्री भंवर लाल, जाति चमार, निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां

2— हरिराम पुत्र श्री भंवर लाल, जाति चमार, निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां

3— तोलाराम पुत्र श्री रघुनाथ, जाति चमार, निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— छोटा सिंह पुत्र श्री धूल सिंह, जाति राजपूत, , निवासी ग्राम आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां

2— रमेश चन्द्र पुत्र श्री छप्पन लाल, जाति महाजन, निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3— महेन्द्र पुत्र श्री रमेश चन्द्र, जाति महाजन, निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4— अशोक कुमार पुत्र श्री घनश्याम, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी बारां, जिला बारां

5— हरिमोहन पुत्र श्री घनश्याम, जाति महाजन, निवासी बारां, जिला बारां

6— बजरंग लाल पुत्र श्री नेनगा, जाति चमार, निवासी आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां

7— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हितेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री देवकी नन्दन गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.11.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 147/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम आमापुरा तहसील बांरा में हाल खसरा नम्बर 436 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 1.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.29 हेक्टर कुल चार किता की 2.21 हेक्टर भूमि स्थित है । इस आराजी के साबिक खसरा नम्बर 290 रकबा 15 बीघा वादी क्रम 1 लगायत 3 के दादा जी श्री नेनगा को दिनांक 12.06.1960 को आवंटित हुई थी । आवंटन के उपरान्त इस पर उनका और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के पिता और वर्तमान में

वादीगण का कब्जा है । नेनगा की मृत्यु हो चुकी है । उनके 3 पुत्र भंवर लाल, रघुनाथ और बजरंग लाल है । भंवर लाल व रघुनाथ की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस वादी नम्बर 1 व 2 हैं । रघुनाथ के वारिस वादी नम्बर 3 है । वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 443 और 444 की आराजी छोटा सिंह ने रमेश चन्द्र एवं अशोक कुमार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की है और खसरा नम्बर 435 की आराजी महेन्द्र कुमार व हरिमोहन को बेचान की है । दोनों विक्रय पत्र अवैधानिक हे । अप्रार्थीगण आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ नयायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया और यह कथन किया गया कि वादीगण का दावा विधि के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है । वाद का आधार नहीं बताया है । आवंटन का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है । जब उनके दादा को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे तो उनके उत्तराधिकारियों को विरासत में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादीगण का दावा हक घोषणा का चलने योग्य नहीं है । पूर्व में भी वाद निरस्त हो चुका है इस कारण नया दावा लाने से प्रतिबंधित है । अतः दावा वादी खारिज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों को नजर अन्दाज करते हुए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 स्वीकार कर दावा खारिज किया है । वादीगण को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । निर्णय विधि विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलांटगण का

कब्जा काश्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा को आवंटित हुई थी जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे । गलत रूप से छोटा सिंह सवर्ण के नाम दर्ज की गई है । छोटा सिंह नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है । अधीनस्थ नयायालय में अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि छोटा सिंह प्रकरण में पक्षकार है । उनकी तामील नहीं मानी जा सकती । छोटा सिंह खातेदार था उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी का बेचान किया गया था । रेस्पोडेंटगण सदभावी क्रेता एवं काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 खाता संख्या 124 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 443 और 444 की दो किता की 0.51 हेक्टर आराजी रमेश चन्द्र व अशोक कुमार के खाते में

दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 के अनुसार नया खाता संख्या 101 की खसरा नम्बर 435 की 1.21 हेक्टर आराजी महेन्द्र कुमार व हरिमोहन के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 437/219 मिन, खसरा नम्बर 428/219 मिन, 407/219 मिन, 430/219 मिन के हाल खसरा नम्बर 435, 436, 443, 446 बने हैं इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबदी सम्वत 2068–71 सलंग्न है जिसमें नया खाता संख्या 151 की दो किता की 0.51 हेक्टर आराजी रमेश चन्द्र और अशोक कुमार के खाते दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या नया 129 के अनुसार खसरा नम्बर 435 महेन्द्र और हरिमोहन के नाम दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2044–49 के अनुसार छोटा सिंह के खाते में खसरा नम्बर 435, 443 और 444 की आराजी दर्ज है । पूर्व में पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में सलंग्न है । यह दावा वादी नम्बर 1, 2 और प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता के द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89 पेश किया गया था । इसका प्रकरण संख्या 53/98 था जिसको दिनांक 15.10. 98 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न नहीं है ।

वादीगण के द्वारा दावे में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके दादा जी को आवंटन हुई थी परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में उन्होंने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । किसी आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की है । जब तक वे किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि वादग्रस्त आराजी उनके दादा को आवंटित हुई थी, तब तक उनके दादा इस आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है । तदनुसार वादीगण भी इस आराजी के विधि के अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है ।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस प्रकरण में विचारणीय है वह यह कि वादी नम्बर 1 और 2 और वादी नम्बर 3 के पिता ने न्यायालय सहायक समाहर्ता बारां में दावा संख्या 53/98 प्रतिवादीगण एवं अन्य के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92, 92ए एवं 188 इसी वादग्रस्त आराजी के बाबत पेश किया था जो दिनांक 15.10.98 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया है । सी पी सी के आर्डर 9 नियम 8 के अनुसार यह दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था और सी पी सी के आर्डर 9 नियम 9 यदि कोई दावा नियम 8 के तहत वादी के उपस्थित नहीं आने पर खारिज किया जाता है तो वादी उसी वाद कारण के आधार पर अन्य दावा नहीं ला सकते हैं । वरन पूर्व में दावा खारिज के निर्णय को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । इस प्रकार वादी अपीलांट का दावा आर्डर 7 नियम 11 एवं आर्डर 9 नियम 9 के अनुसार मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा